रजिस्ट्री सं० डी०-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 314] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 19, 1974/आषाढ़ 28, 1896
No. 314] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 19, 1974/ASADHA 28, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDERS

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 19th July 1974

No. 443(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) *Twentieth* Amendment Order, 1974.

2. In the Exports (Control) Order, 1968, for the existing clause 2(b), the following clause shall be substituted namely:—

> "'Chief Controller of Imports and Exports' includes Exports Commissioner in the Office of the Chief Controller of Imports & Exports, a Jt. Chief Controller of Imports & Exports, a Dy. Chief Controller of Imports & Exports and an Export Trade Controller:".

[No. E(C)/O, 1968/AM(133)]

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1974

एस० ओ० 443 (अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 20वां संशोधन आदेश, 1974 की संज्ञा दी जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में, वर्तमान अनुच्छेद 2(बी) के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"'मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात' में मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय के निर्यात आयुक्त, एक संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, एक उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात और एक निर्यात व्यापार नियंत्रक, आयात-निर्यात शामिल है।"

[सं० ई(सी)अं०, 1968/ए एम (133)]

S.O. 444(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Imports (Control) Order, 1955, namely :—

1. This Order may be called the Imports (Control) *Fifth* Amendment Order, 1974.

2. In the Imports (Control) Order, 1955, for the existing Clause 2(aaa), the following clause shall be substituted, namely :—

"'Chief Controller of Imports and Exports' includes Export Commissioner in the Office of the Chief Controller of Imports and Exports, a Joint Chief Controller of Imports & Exports, a Deputy Chief Controller of Imports and Exports and a Deputy Iron and Steel Controller";

[No. 6/74]

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports & Exports.

एस० ओ० 444 (अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को आयात (नियंत्रण) 5वां संशोधन आदेश, 1974 की संज्ञा दी जाए।

2. "मुख्य निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में, वर्तमान अनुच्छेद 2 (एएए) के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"'मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात' में मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय के निर्यात, आयुक्त, एक संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, एक उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात और एक निर्यात व्यापार नियंत्रक, आयात-निर्यात शामिल है।"

[सं० 6/74]

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974